डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण करेगी निजी एजेंसी

D.J. 13-8-12

◆ सशक्त समिति की आगामी बैठक में आएगा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, पटना : जे नुरुम योजना के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में अब निजी एजेंसी शहर में डोर टू डोर कूड़े का उठाव करेगी। एजेंसी का चयन और भुगतान को लेकर आगामी सशक्त समिति में फैसला लिया जाएगा।

इस साल मई में नगर विकास विभाग ने निकायों को जे नुरुम योजना के तहत कूड़ा संग्रहण और प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए हरी झंडी दी थी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद निगम ने योजना पर कार्य किया। सभी अंचलों से योजना में प्रयुक्त होने वाले साजो-सामान का ब्योरा लिया गया। अंचलों में साफ-सफाई कूड़ा उठाव और इसके प्रबंधन में किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होगी इसका आकलन करने के बाद पिछले सशक्त समिति की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन, घर-घर से कूड़ा उठाव की क्या व्यवस्था होगी इसका उल्लेख संलेख में नहीं था। जिस कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका। अब निगम ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है। घरों से कूड़े का उठाव निजी एजेंसी के माध्यम से होगा। एजेंसियां ही घरों से यूजर चार्ज भी वसूल करेगी। एजेंसियों को उनका भुगतान कचरे के वजन के आधार पर करेगा।

पॉलीबैग ने बढ़ाई वेंडरों की मुश्किलें

जागरण संवाददाता, पटना : शहर में पॉलीबैग के इस्तेमाल पर निगम की रोक का खामियाजा सबसे ज्यादा उस तबके के लोगों को झेलना पड़ रहा जो ठेलों पर अपना व्यवसाय करते हैं। शहर के किसी भी भाग में जाने पर दर्जनों वेंडर निगम के आतंक की कहानी बयां करते हैं। वेडरों की शिकायत है कि ठेले पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों को निगम ने परेशान कर रखा है। उनकी ठेलों से पॉलीबैग तो जब्त होता ही है साथ ही जुर्माने के रूप में जो भी कमाई हुई है तहसील कर ले जाते हैं।

दरअसल, पिछले दिनों पटना नगर निगम ने शहर में 40 माइक्रॉन से कम घनत्व के पॉलीबैग के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। निगम आयुक्त कुलदीप नारायण का निर्देश था कि प्रत्येक दिन अंचलों में कार्यपालक अधिकारी के निर्देश में पॉलीबैग के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जाएगा। आयुक्त का आदेश अमल में है। प्रत्येक दिन निगम के हल्का कर्मचारी बड़ी दुकानों से लेकर ठेलों पर कारोबार करने वालों के यहां छापा मार रहे हैं। बड़ी दुकानों में 40 माइक्रॉन से कम घनत्व के पॉलीबैग मिलने पर तो उनके बैग निगम कर्मी जब्त कर लेते हैं और सौ रुपए की रसीद थमा देते हैं, पर वेंडरों के साथ उल्टा ही होता है। वेंडरों के पास 40 माइक्रॉन से कम घनत्व के पालीबैग जब्त तो होते ही है उनसे तीन सौ से चार सौ रुपए जुर्माना भी वसूला जाता है। इसकी कोई रसीद भी ठेला कारोबारियों को नहीं दी जाती।